संख्याः-101 /XVIII(2)/2009

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 18 मार्च, 2009

विषयः–मै0 अनिल कैमिकल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लि0 को जिला हरिद्वार की तहसील लक्सर के ग्राम अकबरपुर ऊद में को–एक्सटूड सीमलेस टयूब्स एण्ड पैकेजिंग यूनिट की स्थापना हेतु 15 बीघा भूमि क्रय की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1335/भूमि व्यवस्था–भूमि क्रय दिनांक–15.12.2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 अनिल कैमिकल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लि0 को औद्योगिक प्रयोजन हेतु ग्राम अकबरपुर ऊद, तहसील लक्सर जिला हरिद्वार में कुल 15 बीघा अर्थात् 1.125 है0 भूमि क्रय की अनुमति उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओं मे से निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों के साथ प्रदान करते हैं:–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– केता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (औद्योगिक प्रयोजन) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

.....2

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– क्रय की जाने वाली भूमि का भू– उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित उपविधियों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/ मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु सामान्य सुविधाओं के लिए भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8– प्रस्तावित इकाई का निर्माण कार्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) के अनुरूप होगा।

9– इकाई द्वारा प्रस्तावित co-extruded seamless tubes and packaging unit में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को निम्नतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

10– क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग प्रस्तावित co-extruded seamless tubes and packaging unit उत्पादक इकाई की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

11– भूमि क्रय करने के उपरान्त अर्जित भूमि को राज्य सरकार से मेगा प्रोजेक्ट के लिए विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप अधिसूचित कराया जाना आवश्यक होगा।

12– प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सम्बन्धित इकाई का होगा। प्रस्तावित इकाई की स्थापना हेतु प्रश्नगत अनापत्ति मात्र भूमि क्रय व्यवस्था के सन्दर्भ में दी जा रही है।

13– प्रस्तावित इकाई का निर्माण कार्य सीडा से ले–आउट स्वीकृत कराने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

14– किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

15– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

16– योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।

17– सम्बन्धित इकाई को भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम ऐजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी, तभी इकाई द्वारा भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु किया जा सकेगा।

.....3

18– सभी ऐसे डेवलपर्स द्वारा जी0आई0डी0सी0आर0 की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा तथा इसका क्रियान्वयन का अनुश्रवण उद्योग विभाग द्वारा किया जायेगा।

19– प्रश्नगत इकाई में पूंजी निवेश/निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अग्निशमन विभाग से नियमानुसार अनापत्ति/सहमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

20– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन हाने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त करदी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0– 101 /संमदिनांकित/2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश के उधोग विभाग से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3– सचिव, श्रम एव सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
5– निदेशक, उद्योग, इन्ड्रस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।
6– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा, 2–न्यूकैन्ट रोड़, सिडकुल, देहरादून।
7– मै0 अनिल कैमिकल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लि0, जे0–18 एम0आई0डी0सी0 चिकलथाना औरंगाबाद महाराष्ट्र।
8– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
9– प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनु सचिव।